abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224100
CG-DL-E-01012021-224100

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/ पौष 11, 1942
No. 2]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी,2021

सं. 01/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 2(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 में उपनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

undefined

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-1** में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ।"

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: मूल नियम अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर,दिनांक 19 जून,2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 610(अ) दिनाँक 19 जून,2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i)में सा.का.नि. 786 (अ), दिनाँक 22 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2020 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2021

No. 01/2021–Central Tax

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted namely:-

"(6) Notwithstanding anything contained in this rule, -

(a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding two months;

(b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;

abcaus.in 3

(c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 94/2020-Central Tax, dated the 22nd December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 786(E), dated the 22nd December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

undefined